मंहत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर
में "गढ़कलेवा" संचालन हेतु
रूचि की अभिव्यक्ति

–:: प्रपत्र ::–

रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र का शुल्क	रूपये 500/–
अमानत राशि	रूपये 50,000/– (डी.डी./एफ.डी.आर.)
रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र जारी करने की तिथि	दिनांक 23.07.2020 समय शाम 05.00 बजे तक
रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 27.07.2020 समय अपरान्ह 02.00 बजे तक
रूचि की अभिव्यक्ति खोलने की तिथि (तकनीकी प्रस्ताव)	दिनांक 27.07.2020 समय अपरान्ह 03.00 बजे
रूचि की अभिव्यक्ति खोलने की तिथि (वित्तीय प्रस्ताव)	दिनांक 29.07.2020 समय अपरान्ह 03.00 बजे

Sample Form

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व
छत्तीसगढ़, रायपुर
फैक्सः 0771-2234731, दूरभाषः 0771-2537404,
ई-मेलः deptt_culture@yahoo.co.in, deptt.culture@gmail.com, website: www.cgculture.in

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व
रायपुर–छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771–2537404, टेलीफैक्स 0771–2234731

ई–मेल : deptt_culture@yahoo.co.in वेब साइट : .cgculture.in

क्रमांक 2326 /गढ़कलेवा/स.पु./ 2020 — रायपुर, दिनांक 23/06/2020

<u>मंहत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर में गढ़कलेवा संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)</u>

मंहत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का खानपान के केन्द्र 'गढ़कलेवा' संचालन हेतु अनुबंध पर संचालन हेतु दिये जाने के लिए सीलबंद लिफाफे में रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक स्वसहायता समूह रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र कार्यालयीन समय में संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर मे 500/–नगद (जो वापसी योग्य नही है) जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी कार्यालय संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर के वेबसाईट www.cgculture.in में भी देखा जा सकता है। इच्छुक संस्था को अंतिम तिथि तक सीलबंद रूचि की अभिव्यक्ति रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट (अन्य कोई डाक सेवा नहीं) के द्वारा संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर में प्रेषित करना होगा। सीलबंद रूचि की अभिव्यक्ति लिफाफे के उपर "रूचि की अभिव्यक्ति–मंहत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर में गढ़कलेवा संचालन कार्य" अंकित करना होगा। रूचि की अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार परिवर्तन अथवा संशोधन होने पर जानकारी उक्त वेबसाईट में प्रदर्शित की जायेगी। संशोधन सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

ई.ओ.आई. प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि :–दिनांक 23.07.2020 समय शाम 05.00 बजे तक

ई.ओ.आई. प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि :–दिनांक 27.07.2020 समय अपरान्ह 02.00बजे तक

ई.ओ.आई. खोलने की तिथि (तकनीकी प्रस्ताव) :–दिनांक 27.07.2020समय अपरान्ह 03.00 बजे

ई.ओ.आई. खोलने की तिथि (वित्तीय प्रस्ताव) :–दिनांक 29.07.2020 समय अपरान्ह 3.00 बजे

संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व
रायपुर (छ.ग.)

Sample Form

Desktop/Garhkalewa

डिसक्लेमर

1. प्रस्तुत दस्तावेजों में जो जानकारी दी गयी है वह रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने के इच्छुक स्वसहायता समूहों की सुविधा और जानकारी मात्र के लिए है।
2. दस्तावेजों को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गयी है तथापि, यह रूचि की अभिव्यक्ति भरने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह जानकारियों के संबंध में स्वयं सत्यापन कर पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त कर लेवे। यदि दस्तावेजों में वर्णित जानकारी या शर्तों में कोई कमी या विरोधाभास प्रतीत हो रहा हो तो उसे रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व को लिखित सूचना के द्वारा जानकारी प्रदान की जाये, अन्यथा यह माना जायेगा कि रूचि की अभिव्यक्ति भरने वाले स्वसहायता समूह द्वारा दस्तावेजों के पर्याप्त एंव पूर्ण होने के संबंध में संतुष्ट है।
3. रूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज अनुबंध नहीं है और न ही कोई ऑफर है। ये दस्तावेज रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रस्ताव तैयार करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किये गये हैं। ये दस्तावेज प्रत्येक भाग लेने वाले स्वसहायता समूह के उद्देश्य और आवश्यकताओं के अनुरूप एवं उपयुक्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अतः रूचि की अभिव्यक्ति भरने वाले स्वसहायता समूह से अपेक्षा है कि समस्त जानकारियों के संबंध में स्वतंत्र रूप से सत्यापन एवं परामर्श प्राप्त करने के उपरांत रूचि की अभिव्यक्ति भरें।
4. रूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि, कमी, चूक आदि के लिए कार्यालय संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर या उनके अधिकारी, कर्मचारी किसी प्रकार के उत्तरदायी नहीं होंगे और इन कारणों से विधि के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
5. रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि संचालक,संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर इस आमंत्रण के अंतर्गत प्राप्त रूचि की अभिव्यक्ति में से किसी रूचि की अभिव्यक्ति को स्वीकृत करने के लिए बाध्य है।
6. किसी रूचि की अभिव्यक्ति या सभी रूचि की अभिव्यक्ति को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व के पास सुरक्षित है।
7. संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा विभागीय वेबसाईट www.cgculture.in में सूचना प्रकाशित करते हुए, आवश्यक होने पर रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है, रूचि की अभिव्यक्ति सूचना की शर्तों में संशोधन, रूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेजों में परिवर्तन या रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण पूर्णतः निरस्त किया जा सकता है। उक्ताशय की सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं की जायेगी, यह जानकारी उक्त विभागीय वेबसाईट में अपलोड की जाएगी जिसे डाउनलोड कर उपयोग किया जा सकता है।

संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व

Sample Form

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व
महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, संस्कृति भवन, सिविल लाईन्स
रायपुर (छत्तीसगढ़)

गढ़कलेवा संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति के तहत नियम व शर्तें

1. रूचि की अभिव्यक्ति के तहत गढ़कलेवा का संचालन हेतु आवेदक का स्वसहायता समूह नगर निगम या फर्म एवं सोसायटी में दो वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. स्वसहायता समूह के नाम पर बैंक में खाता होना चाहिए।
3. स्वसहायता समूह द्वारा न्यूनतम दो वर्षों से शासकीय संस्था/स्वशासी संस्था/निजी संस्थान में छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाने एवं विक्रय का अनुभव आवश्यक है, इस हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
4. स्वसहायता समूह द्वारा यदि बैंक से लोन लिया गया हो तो उसका पूर्ण विवरण जैसे लोन की राशि, अवधि, वर्तमान स्थिति आदि का विवरण देना होगा तथा बैंक या शासकीय संस्था से वसूली की कार्यवाही या कालीसूची किया गया हो तो विवरण स्पष्ट रूप से देवें।
5. स्वसहायता समूह द्वारा सदस्यों के अतिरिक्त कर्मचारी रखा गया हो तो उसका प्रकार जैसे– कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल का जानकारी देवें।
6. महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर परिसर में स्थित गढ़कलेवा संस्थान में केवल छत्तीसगढ़ी व्यंजन/भोजन/कलेवा/पेय का विक्रय की जावेगी जिसकी मात्रा एवं दर पर नियंत्रण विभाग द्वारा की जावेगी जिसे समूह को स्वीकार किया जाना आवश्यक होगा।
7. गढ़कलेवा में पकाने, विक्रय एवं परोसने हेतु पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ी बर्तन जैसे– कांसा, पीतल, मिट्टी या पत्तल दोना (हरित) का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा तथा शासन के नियमों का पालन करना होगा।
8. तकनीकी प्रस्ताव में सफल स्वसहायता समूह को एक प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रस्तुतिकरण देनी होगी जिसमें विषय–विशेषज्ञों एवं समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये छत्तीसगढ़ी व्यंजन, भोजन, कलेवा या पेय को स्थल पर तैयार कर प्रस्तुतिकरण देना होगा। इस कार्य में प्रत्येक समूह से अधिकतम दो सदस्य एक साथ भाग ले सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रस्तुतिकरण का पूर्णांक 20 अंक होंगे जिन्हें विषय– विशेषज्ञोंएवं समिति के सदस्यों द्वारा परीक्षण पश्चात दी जावेगी। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले स्वसहायता समूह का वित्तीय प्रस्ताव खोला जावेगा।
9. गढ़कलेवा परिसर की रखरखाव, रंगाई–पुताई, लिपाई, साफ–सफाई एवं स्वच्छता (HYGIENE) पूर्ण रूप से स्वसहायता समूह को अपने खर्चे पर वहन करना होगा तथा इसके रिपेयरिंग, पेंटिंग का कार्य पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कलाकारों के माध्यम से ही किया जाना होगा।

Sample Form

10. गढ़कलेवा से निकलने वाले कचरे का निपटान उचित तरीके से प्रतिदिन स्वसहायता समूह द्वारा किया जावेगा।

11. पेय जल एवं अन्य उपयोग हेतु जल व्यवस्था स्वसहायता समूह द्वारा स्वयं के खर्चे पर वहन किया जावेगा।

12. गढ़कलेवा परिसर में विद्युत व्यवस्था हेतु समूह को स्वयं का मीटर लगाना होगा तथा प्रतिमाह का विद्युत देयक का भुगतान स्वसहायता समूह द्वारा किया जावेगा।

13. संचालन की अवधि 31 मार्च 2022 तक के लिए होगी जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाने या घटाने का पूर्ण अधिकार संचालक, संस्कृति एंव पुरातत्व को होगा।

14. रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव में कुल तीन लिफाफे होंगेः–

(क).प्रथम लिफाफाः– यह बड़ा एवं बाहरी लिफाफा होगा तथा इस लिफाफे के अंदर शेष दोनों लिफाफे भरकर मुहरबंद कर एवं पूर्ण पता सहित **संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, सिविल लाईन, रायपुर** पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट (अन्य कोई डाक सेवा नहीं) से नियत तिथि तक भेजना होगा। एवं लिफाफे के उपर में **''गढ़कलेवा संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति''** लिखना अनिवार्य है।

(ख).द्वितीय लिफाफाः–इस लिफाफे के अंदर तकनीकी प्रस्ताव, समस्त प्रमाण पत्र, अनुभव एवं **रू. 50,000/–** की धरोहर राशि का एफ.डी.आर./डी.डी./बैंकर्स चेक को संचालक, संस्कृति एंव पुरातत्व, रायपुर के नाम देय हो को भरकर मुहरबंद कर पहले लिफाफे के अंदर रखना है। तकनीकी लिफाफे के उपर में **''तकनीकी प्रस्ताव''** लिखा जाना आवश्यक है।

(ग).तृतीय लिफाफाः– इस लिफाफे के अंदर वित्तीय प्रस्ताव (विभाग द्वारा जारी किये गये प्रपत्र में भरा जावेगा) रखकर मुहरबंद कर प्रथम लिफाफे के अंदर रखना है। वित्तीय लिफाफे के उपर में **''वित्तीय प्रस्ताव''** लिखा जाना आवश्यक है।

15. स्वसहायता समूह को 50 रू. का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र इस आशय के साथ देना होगा कि उनको उपरोक्त सभी शर्तें मान्य है।

16. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय सर्वमान्य होगा तथा न्यायालय क्षेत्र केवल रायपुर का न्यायालय होगा।

17. संचालक, संस्कृति एंव पुरातत्व रायपुर को ई.ओ.आई. प्रकिया को कभी भी किसी भी स्थिति में निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व

Sample Form

वित्तीय प्रपत्र

1. स्व सहायता समूह का नाम एवं पूर्ण पताः–..
....
....
2. स्व सहायता समूह का दूरभाष/मोबाईल नंः–..
3. विभाग को प्रति माह दी जाने वाली **राशि** रू. (अंको में)..
(शब्दों में)..
(उक्त राशि सफल स्व सहायता समूह को प्रतिमाह विभाग के कैश शाखा में जमा करना होगा)
4. स्व सहायता समूह का कार्य संतोषजनक तथा अनुबंध का शर्तो का उत्तम रूप से पालन किये जाने पर अनुबंध की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
5. स्व सहायता समूह के द्वारा छत्तीसगढ़ी मुख्य व्यंजनों की सूची जो गढ़कलेवा में निर्मित की जावेगी एवं उनके बनाने के लिये उपयोग में आने वाली सामग्री की जानकारी/विवरण (इस हेतु आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ संलग्न करें) प्रस्तुत करनी होगी, आवश्यक होने पर आवेदक से प्रत्यक्ष साक्षात्कार लिया जा सकता है।

(स्व सहायता समूह का हस्ताक्षर एंव सील)

Sample Form

तकनीकी प्रपत्र

1. स्वसहायता समूह का नाम एवं पूर्ण पताः–..

....

....

2. प्रपत्र की जमा शुल्क रसीद का विवरणः–...

3. कार्य का नामः– महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर परिसर स्थित 'गढ़कलेवा' के संचालन कार्य।

4. कार्य का अनुभव का विवरण (प्रमाण पत्र सहित):–...

....

5. अमानत राशि :– रू 50,000 / –(रू. पचास हजार) मात्र

(डी.डी. / एफ.डी.आर) संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर के नाम से

6. कार्य की अवधि / तिथिः– 31 मार्च 2022 तक के लिए

7. रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने वाले स्वसहायता समूह के अध्यक्ष / सचिव का आधार की सत्यापित छायाप्रतिः–...

8. विगत दो वर्षों का छत्तीसगढ़ी व्यंजन संचालन का अनुभव विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें):– वित्तीय वर्ष 2018–19 ....

वित्तीय वर्ष 2019–20 ....

9. स्वसहायता समूह का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्रः– ....

10. खाद्य और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जारी फूड लायसेंसः– ....

11. सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (रू. 50 / – का नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर):– ....
....

(स्व सहायता समूह का हस्ताक्षर एंव सील)

Sample Form